पंजीकृत संख्या 72/54–55 || वन्दे मातरम् || Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, श्यामसुन्दर शर्मा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, उमराव लाल वर्मा
(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I.) & राज. राज्य कर्मचारी महासंघ

प्रहलाद शर्मा
अध्यक्ष
मो. 9414056109

रामावतार शर्मा
सभाध्यक्ष
मो. 9166616080

देव लाल गोचर
महामंत्री
मो. 9414403756

महावीर प्रसाद सिंघल
प्रदेश संगठन मंत्री

26, बोहरा कॉलोनी,
केकड़ी जिला अजमेर
मो. 9413135215

क्रमांक : 843 दिनांक : 22.08.2016

चुनाव विज्ञप्ति

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की विधान की धारा 28 (क) के अन्तर्गत समस्त उपशाखाओं/जिला शाखाओं के सत्र 2016–2017 में होने वाले निर्वाचनों के लिए आवश्यक निर्देशों सहित चुनाव विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है। इसमें संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार संयोजक, निर्वाचन समिति को होगा।

निर्वाचन के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश

1. सभी उपशाखाओं में 31 अगस्त 2016 तक की सदस्यता ही निर्वाचन हेतु मान्य होगी।
2. उपशाखाओं के चुनाव 30 नवम्बर 2016 तक एवं जिला शाखाओं के चुनाव 31 दिसम्बर 2016 तक सम्पन्न कराये जावेंगे।
3. प्रकाशित निर्वाचन तिथि एवं स्थान में परिवर्तन, संयोजक, निर्वाचन समिति की लिखित स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित तिथि तक चुनाव नहीं हो सकने की स्थिति में स्थाई समिति का निर्णय मान्य होगा।
4. उपशाखाओं के निर्वाचन उपशाखा मुख्यालयों तथा जिला निर्वाचन जिला मुख्यालय पर कराये जायेंगे।
5. सम्बन्धित उपशाखा के अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष 18 सितम्बर 2016 तक निर्धारित प्रारूप में सदस्यता सूची तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास 5 प्रतियों में उपशाखांश, जिलांश व प्रान्तांश के ड्राफ्ट सहित भेजेंगे।
6. जिला निर्वाचन अधिकारी दि. 25.09.2016 तक मतदाता सूचियां एवं तीनों ड्राफ्ट संभाग उपाध्यक्ष को देकर मतदाता सूचियों की पाचों प्रतियों पर संभाग उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर कराकर प्रदेश संगठन मंत्री के हस्ताक्षर की मुद्रा अंकित कर एक प्रति व प्रान्तांश का मूल ड्राफ्ट एवं उपशाखांश तथा जिलांश ड्राफ्ट की फोटो प्रति व सभी खाली भरी रसीद बुकें संभाग उपाध्यक्ष को जमा करायेंगे। मतदाता सूची की एक प्रति व जिलाशं का ड्राफ्ट जिला निर्वाचन अधिकारी अपने पास रखेंगें तथा मतदाता सूची की हस्ताक्षरयुक्त एक प्रति उपशाखा ड्राफ्ट सहित उपशाखा निर्वाचन अधिकारी को देगें, जिसके आधार पर चुनाव कराये जायेगें। हस्ताक्षरयुक्त मतदाता सूची की एक प्रति जिलामंत्री को व हस्ताक्षरयुक्त मतदाता सूची की एक प्रति उपशाखामंत्री को तथा हस्ताक्षरयुक्त मतदाता सूची की एक प्रति प्रदेश संगठन मंत्री को भेजेंगें।
7. संभाग उपाध्यक्ष उपशाखांश एंव जिलांश ड्राफ्ट की फोटो प्रति एंव प्रान्तांश का ड्राफ्ट एवं सभी खाली भरी रसीद बुकें प्रदेश कोषाध्यक्ष को जमा करायेंगे ।
8. मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 25.09.2016 को किया जावेगा। मतदाता सूची में आपत्ति संयोजक चुनाव समिति/प्रदेश संगठन मंत्री के पास की जा सकेगी। अन्तिम मतदाता सूची निर्वाचन तिथि को प्रकाशित कर दी

जायेगी। मतदाता सूची प्रान्तीय कार्यालय, जयपुर/प्रदेश संयोजक चुनाव समिति एवं प्रदेश संगठन मंत्री सहित जिलाध्यक्ष/जिलामंत्री/उपशाखाध्यक्ष/उपशाखामंत्री एवं उपशाखा कोषाध्यक्ष के पास देखी जा सकेगी और 2 रू. प्रति पेज शुल्क देकर प्रति प्राप्त की जा सकती है। चुनाव अधिकारी को मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नही होगा।

9. सम्बंधित जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की सम्पूर्ण उपशाखाओं के निर्वाचन कराकर सभी उपशाखाओं की मतदाता सूचियाँ एंव निर्वाचन परिणाम की एक–एक प्रति जिला निर्वाचन के उपरान्त नव निर्वाचित जिला मंत्री को सम्भलायेगें।

10. उपशाखाओं/जिला शाखाओं के निर्वाचन की विज्ञप्ति सम्बन्धित उपशाखा/जिला शाखा के अध्यक्ष/मंत्री से विचार–विमर्श कर निर्वाचन तिथि से सात दिन पूर्व समाचार पत्रों/शिक्षक सन्देश में प्रकाशित करायेंगे तथा एक–एक प्रति प्रदेश कार्यालय, संबन्धित संभाग उपाध्यक्ष, जिला संगठन मंत्री, अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष तथा संयोजक,निर्वाचन समिति को भेजेंगे।

11. निर्वाचन अधिकारी/पर्यवेक्षक सम्बन्धित शाखा में चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

12. उपशाखाओं के निर्वाचन अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी से सम्बन्धित उपशाखा के ड्राफ्ट, चैकबुक, पासबुक, बाउचर फाईल, एफ.डी. व अन्य सभी पत्रावलियाँ प्राप्त कर निर्वाचन सम्पन्न होने के उपरान्त नव निर्वाचित सम्बन्धित पदाधिकारी को सम्भलवाकर रसीद प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार जिला निर्वाचन अधिकारी भी जिला निर्वाचन के पश्चात जिले से सम्बन्धित जिलांश के ड्राफ्ट, चैकबुक, कैशबुक, एफ.डी. व अन्य सभी पत्रावलियां नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सम्भलवाकर रसीद प्राप्त करेंगे।

13. सभी पदों के लिए पृथक–पृथक नामांकन पत्र भरा जावेगा। नामांकन पत्र 5/– प्रति प्रपत्र जमा करवाकर निर्वाचन के दिन निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकेंगे।

14. उपशाखा निर्वाचन में प्राप्त नामांकन प्रपत्र शुल्क की राशि जिला शाखा में तथा जिला निर्वाचन में प्राप्त राशि प्रदेश कोष में जमा करानी होगी। उपशाखाओं के निर्वाचन अधिकारी/पर्यवेक्षक का यात्रा व्यय जिला शाखा से तथा जिला निर्वाचन अधिकारी/पर्यवेक्षक का यात्रा व्यय प्रदेश कोष से देय होगा।

15. उपशाखा अध्यक्ष, मंत्री, महिला मंत्री, जिला महासमिति, प्रदेश महासमिति के प्रत्याशियों एवं गत सत्र के निर्वाचित जिला व प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों को शिक्षक संदेश का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

16. शिक्षक संदेश की राशि का ड्राफ्ट ''शिक्षक संदेश प्रकाशन ट्रस्ट, जयपुर'' के नाम से बनाकर निर्वाचन सम्पन्न होने के तीन दिन बाद आवश्यक रूप से सदस्यों के घर के पतों की सूची के साथ प्रान्तीय कार्यालय, जयपुर भेज दे। इसकी एक प्रति जिला संगठन मंत्री को भी भेजें। निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन रिकॉर्ड जमा कराते समय शिक्षक संदेश की राशि/ड्राफ्ट साथ में देंगे तभी निर्वाचन वैध माना जावेगा।

17. उपशाखा के निम्न पदों के चुनाव कराये जायेगे – सभाध्यक्ष, उपसभाध्यक्ष– दो पद, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष पुरूष, उपाध्यक्ष महिला, मंत्री, महिला मंत्री, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य – प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, प्रथम वेतन श्रृंखला, द्वितीय वेतन श्रृंखला, तृतीय वेतन श्रृंखला, पंचायत समिति शिक्षक, संस्कृत शिक्षा, शारीरिक शिक्षक, महिला शिक्षा, प्रबोधक, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालयाध्यक्ष, निजी शिक्षण संस्था एवं सेवानिवृत शिक्षक सदस्य।

18. उपशाखा निर्वाचन के समय उपशाखा की कुल सदस्यता के चार प्रतिशत के अनुसार जिला महासमिति सदस्य एवं कुल सदस्यता के एक प्रतिशत के अनुसार प्रदेश महासमिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

19. जिला शाखा में निम्न पदो के चुनाव कराये जायेंगे – सभाध्यक्ष, उपसभाध्यक्ष –दो पद, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष पाँच (पुरूष,महिला,माध्यमिक,प्राथमिक एवं संस्कृत विभाग एक–एक), मंत्री, महिला मंत्री, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य – प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, प्रथम वेतन श्रृंखला, द्वितीय वेतन श्रृंखला, तृतीय वेतन श्रृंखला,पंचायत समिति शिक्षक, संस्कृत शिक्षा, सेवानिवृत, शारीरिक शिक्षक, महिला शिक्षा, प्रबोधक, महाविद्यालय, प्रयोगशाला सहायक,
पुस्तकालयाध्यक्ष, निजी शिक्षण संस्था सदस्य।

20. राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के विधान अनुसार उपशाखा/जिलाशाखा एवं प्रदेश की कार्यकारिणी के निर्वाचित किसी भी पद पर लगातार 5 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति निर्वाचित नही हो सकेगा। अतः 5 वर्ष तक लगातार एक ही पद पर रहे प्रत्याशी का नामांकन पत्र उस पद के लिये स्वतः ही निरस्त योग्य होगा।

21. वर्तमान उपशाखा एवं जिलाशाखा के अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष या अन्य के पास किसी प्रकार का चार्ज यथा कैशबुक,चैकबुक,पासबुक,वाउचर फाईल,एफ.डी.आर. है तो उसे निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र भरने से पूर्व जमा कराना होगा अन्यथा बकाया की पुष्टि होने पर नामांकन निरस्त किया जा सकेगा।

22. प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र स्वयं उपस्थित होकर निर्वाचन अधिकारी को जमा करवायेगा तथा चुनाव अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर करेगा।

23. उपशाखा एवं जिले को आवंटित की गयी रसीद बुकों के आधार पर ही उस उपशाखा एवं जिले की सदस्यता मानी जायेगी यथा–उपशाखा से उपशाखा एवं जिले से जिले में स्वयं के आधार पर आदान–प्रदान की गयी रसीद बुकों की सदस्यता किसी भी उपशाखा में नही जोड़ी जायेगी।

24. निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशी को गत तीन सत्रों का राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) का लगातार सदस्य होना अनिवार्य होगा।

25. जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन परिणाम निर्वाचित पदाधिकारी के कार्यस्थल व घर के पते तथा दूरभाष नं. सहित संयोजक प्रदेश निर्वाचन समिति, सम्पादक शिक्षक संदेश, महामंत्री कार्यालय एवं सम्बंधित प्रदेश उपाध्यक्ष को निर्वाचन के पश्चात् तीन दिन में आवश्यक रूप से भेजेंगे।

26. यदि किसी सदस्य के पास शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की किसी प्रकार की राशि, खाली भरी रसीद बुके एवं अन्य बकाया होना प्रमाणित होता है तो वह चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। निर्वाचन पश्चात भी प्रमाणित होने पर निर्वाचन निरस्त किया जा सकेगा।

27. निर्वाचन संबंधी किसी भी वाद की अपील प्रभावित व्यक्ति ही अपने नाम से व्यक्तिगत रूप से निर्धारित प्रारूप में संयोजक न्यायाधिकरण को चुनाव तिथि से पन्द्रह दिवस में करनी होगी। 201/– (दो सौ एक रूपये) का बैंक ड्राफ्ट **"राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)"** के नाम अपील के साथ संलग्न कर संयोजक न्यायाधिकरण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाते हुए प्रति न्यायाधिकरण सदस्यों, महामंत्री तथा संयोजक निर्वाचन समिति को भेजना अनिवार्य है। सामूहिक हस्ताक्षरयुक्त अपील मान्य नहीं होगी। अपील का निर्धारित प्रारूप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकते है। न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा

अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन	: चुनाव तिथि के दिन प्रातः 8.00 बजे
नामांकन प्रस्तुत करना	: चुनाव तिथि के दिन प्रातः 10.00 बजे से 12.00 तक
प्रत्याशियों की प्रथम सूची का प्रकाशन	: चुनाव तिथि के दिन दोपहर 12.30 बजे तक
नाम वापस लेना	: चुनाव तिथि के दिन दोपहर 1.30 बजे
प्रत्याशियों की अन्तिम सूची का प्रकाशन	: चुनाव तिथि के दिन दोपहर 2.00 बजे तक
मतदान यदि आवश्यक हुआ	: चुनाव तिथि के दिन दोपहर 2.30 बजे से 4.00 बजे तक
मतगणना व चुनाव परिणाम	: मतदान के तुरन्त बाद

विशेष :– चुनाव अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम में आंशिक संशोधन कर सकेंगे।

दिनांक : **22.08.2016**

(महावीर प्रसाद सिंघल)
संयोजक
प्रदेश चुनाव समिति
राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)